उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

छेदन उरॉव
बनाम
मो0 साबिर हुसैन वगै0

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– **41/2010–11**

वाद का प्रकार :– म्यूटेशन अपील (Mutation Appeal)

आवेदक श्री छेदन उरॉव पिता–लगनु उरॉव ग्राम–कुदरा थाना–सिसई जिला–गुमला ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–07/2010 में पारित आदेश के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि खाता नं0–145 प्लॉट नं0–891 रकबा–0.87 एकड़ मौजा कुदरा थाना–सिसई जिला–गुमला में अवस्थित है जो अपीलार्थी की वकास्त भूईहरी प्रकृति की जमीन है। जिसका हस्तांतरण धारा–48 सी0 एन0टी0 एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत अवैध है। प्रश्नगत जमीन का दाखिल खारिज हेतु साबिर हुसैन अंचल अधिकारी सिसई के समक्ष दाखिल किया गया, जिसे पूर्ण सुनवाई के पश्चात खरिज कर दिया गया।

उत्तरबादी साबिर हुसैन द्वारा दावा प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि प्रश्नगत भूमि को उन्होनें रजिस्ट्री पट्टा सं0–2156 दिनांक–28.08.2009 के माध्यम से बिक्रेता बालेश्वर साहु पिता–बालमुकुन्द साहु से क्रय किया गया है। उत्तरवादी का अभिकथन है कि विवादित भूमि को बालेश्वर साहु एस0ए0आर0 वाद सं0–597/1976–77 के माध्यम से दिनांक–29.11.1976 वो 10.12.1976 से प्राप्त किया था।

दाखिल खारिज वाद के लिए क्रेतागण का प्रश्नगत जमीन में विधिक दखल अनिवार्य है बगैर विधिक दखल के दाखिल खारिज अवैध है। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का कथन है कि (For valid mutation it is necessary for the application to prove law full possession over the lands in ancestation and law full possession only recognized through valid transaction relied on J.B.C.J 2016 S.C.135)

अपीलार्थी का कथन है कि सन् 1940 में बालेश्वर साहु का जन्म नही हुआ था। वर्ष 2008 के भोटर लिस्ट में बालेश्वर साहु का उम्र 53 वर्ष दर्ज है जिससे यह प्रमाणित होता है कि बालेश्वर साहु का जन्म 1956 ई में हुआ था ऐसी परिस्थिति में बालेश्वर साहु का यह दावा कि सन 1940 ई0 में उसके द्वारा प्रश्नगत जमीन को खतियानी रैयत के पुत्र से खरीदा गया था सिर्फ काल्पनिक है तथा एस0ए0आर0 कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करने की नियत से 1940 के हस्तांतरण का किस्सा गढ़ा गया। इस परिपेक्ष्य में बालेश्वर साहु एस0ए0आर0 कोर्ट में 1940 के हस्तांतरण के संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नही किए और न ही इस वाद में भी उत्तरवादी तथाकथित 1940 का कागजात प्रस्तुत किए। वैसे भी धारा 46 सी0एन0टी0 एक्ट के मुताबिक गैर–आदिवासी को बकास्त भूईहरी मुण्डई जमीन का हस्तांतरण संभव नही है।

यह स्पष्ट है कि सन 1975–76 में बकास्त भूईहरी मुण्डई जमीन में एस0ए0आर0 कानून लागू नही था, सन् 1975–76 में प्रश्नगत जमीन के संबंध में वगैर प्रावधान के एस0ए0आर0 केश रजिस्टर्ड होना तथा वगैर प्रावधान के एस0ए0आर0 केश प्रश्नगत जमीन में चलाना तथा उसमें आदेश पारित कर बकास्त भूईहरी– मुण्डई जमीन को गैर– आदिवासी के नाम हस्तांतरण का अवैध

जामा पहनाना विधि विरुद्ध है तथा Fraud against statute भी है। इस संबंध में 2003(3) JLJR730 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि Fraud against statute can not be recognized as valid one in this case Honourable court have not recognized oral transfer made in 1951 in between trible and non trible

यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तरवादी ने न्यायालय से धोखाधडी करते हुए सन–1940 के मनगढंत तथ्य को प्रस्तुत किया जिस समय बिकता–केता दोनों का जन्म नही हुआ तथा वैसे हस्तांतरण को न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 केश नं0–597/1976–77 को आदेश दिनांक–10.12.1976 से रिभैलिडेट किया गया। चूँकि सन 1940 में कोई हस्तांतरण हुआ नही था ऐसी परिस्थिति में उक्त हस्तांतरण का एस0ए0आर0 कानून के विरुद्ध एस0ए0आर0 वाद लागू कर वैध हस्तांतरण को विधि सम्मत नही कहा जा सकता है, तथा वैसे कार्य न्यायालय के साथ वो कानून के साथ धोखधडी की संज्ञा में आती है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में 1994(1) SCC1 में यह अवधारित दिया कि Judg-ment or decree Obtained by fraud to be treated as nullity and can be questioned even in collateral proceeding fraud Meaning of Non-disclosure of relevant and material documents with a view to obtain advantage amounts to fraud-partition suit filed by respondent without disclosing deed of release executed by him relinquishing his rights in the property and preliminary decree obtained-Held decree obtained by non-disclosure of the release deed amounted to fraud on Court and hence decree liable to set -aside.

इस वाद में भी बालेश्वर साहु द्वारा 1940 के हस्तांतरण का मनगढंत तथ्य प्रस्तुत किए तथा 1940 के उक्त अवैध हस्तांतरण का कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नही किए तथा एस0ए0आर0 कानून का सहारा लेकर जबकि बकास्त भूईहरी मुण्डई जमीन एस0ए0आर0 कानून लागू नही होता है बावजूद इसकी एस0ए0आर0 कानून का सहार लेकर सन 1940 के अवैध हस्तांतरण को वैध करा लिया जिसका अस्तित्व ही नही है। एस0ए0आर0 कोर्ट द्वारा एस0ए0आर0 केश नं0–597/1976–77 में पारित आदेश जो कि धोखाधडी से प्राप्त किया गया उक्त आदेश को valid order की संज्ञा में नही रखा जा सकता है तथा वैसे आदेश से बालेश्वर साहु को भी हक प्राप्त नही हो सकता इस संबंध में 2007(2) JLJR SC184 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधरित किया गया है–

It is well settled principle of law that if any judgement or order is obtained by fraud it cannot be said to be judgement or order in law-such a judgement decree or order by the first court or by the final court has to be treated as nullity by every court superior or interior-it can be challenged in any court at any time in appeal revision writ or even in collateral proceeding no illegality in impugned order.

इस प्रकार अंचल अधिकारी सिसई द्वारा साबिर हुसैन के दाखिल खारिज को रद्द किया जाना बिलकुल सही निर्णय था। उनके द्वारा म्यूटेशन रिवीजन अपील वाद सं0–07/2010 में पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया हे।

अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है:–

1 दाखिल खारिज अपील वाद सं0–07/2010–11 की नकल की छाया प्रति।
2 खतियान खाता नं0–145 की नकल की छाया प्रति।
3 खेवट 11/3 की नकल की छाया प्रति।
4 निरंतर खतियान खाता नं0–145 की नकल की छाया प्रति।
5 बन्डा पर्चा की नकल की छाया प्रति।
6 एस0ए0आर0 वाद सं0–597/1976–77 की मूल प्रति।
7 एस0ए0आर0 वाद सं0–498/1975–76 की मूल प्रति।
8 रजिस्ट्री पट्टा सं0–2156 दिनांक–28.08.2009 की नकल की छाया प्रति।
9 भोटर लिस्ट विधान सभा सिसई 2008 भाग सं0–43 कम सं0–297 आयु 68 वर्ष बनेया उरॉव उर्फ वाने उरॉव पिता–सुखन उरॉव का की नकल की छाया प्रति।
10 भोटर लिस्ट विधान सभा सिसई 2008 भाग सं0–44 कम सं0–97 आयु 53 वर्ष बलेश्वर साहु पिता बालमुकुन्द साहु का नकल की छाया प्रति।
11 मृत्यु प्रमाण पत्र बनेया उरॉव उर्फ वाने उरॉव दिनांक–09.04.2009 की छाया प्रति।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है यह म्यूटेशन अपील वाद खाता सं0–145 प्लॉट सं0–891 रकबा–0.87 एकड जमीन जो ग्राम कुदरा थाना–सिसई जिला–गुमला में अवस्थित है का खतियान रिवीजन सर्वे में सुखन उरॉव व कोचा उरॉव के नाम से बकास्त भूईहरी दर्ज है। खतियानी रैयतों ने उपरोक्त जमीन को सन–1940 ई0 में बालेश्वर साहु को बिकी कर दिया था तथा दखल भी दे दिया था। तत्पश्चात सन–1976–77 ई में बनेया उरॉव वल्द सुखन उरॉव जो खतियानी रैयत का वारिश था, उसने एस0ए0आर0 वाद सं0–597/1976–77 बालेश्वर साहु के विरुद्ध दायर किया। माननीय अनुमण्डल पदाधिकारी ने दिनांक–29.11.1976 ई0 को 300/ रुपया बनेया उरॉव को देने का आदेश दिया। आदेशानुसार बालेश्वर साहु ने दिनांक–10.12.1976 को क्षतिपूर्ति की राशि देकर जमीन के हस्तांतरण को वैध करा लिया। उक्त आदेश के विरुद्ध बनेया उरॉव या किसी अन्य के द्वारा कोई अपील या रिवीजन कभी दायर नही किया गया। इस तरह बालेश्वर साहु का हकीयत एवं दखल सम्पुष्ट कर दिया गया। उक्त आदेश के पश्चात् विद्धान अंचल अधिकारी सिसई ने नामांतरण वाद सं0–04/1979–80 दिनांक–28.05.1979 को नामांकन भी स्वीकृत कर दिया तथा वे 2008–09 तक सरकार को मालगुजारी अदा करते आ रहे थे, जब बालेश्वर साहु को रुपये की आवश्यकता पड़ी तो उन्होने खाता नं0–145 प्लॉट–891 रकबा–0.87 एकड़ जमीन को वर्त्तमान अपीलार्थी के पक्ष में निबंधित पट्टा सं0–2556 दिनांक–28.08.2009 को बिकी कर दिया तथा दखल भी दे दिया। अभी उक्त जमीन पर अपीलार्थी का ही शांति पूर्ण दखल है। नामांतरण आवेदन वाद संख्या–230आर27/2009–10 अंचल अधिकारी सिसई के न्यायालय में दायर किया। अंचल अधिकारी, सिसई ने जॉच प्रतिवेदन की मांग की जॉचोपरांत स्थानीय राजस्व कर्मचारी ने अपीलार्थी का दखल पाते हुए सिर्फ अपने प्रतिवेदन में इतना ही लिखा कि खतियानी रैयत के वारिश आपत्ति कर रहें है, इसलिए आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। इस पर अंचल अधिकारी ने माननीय अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला से दिशा–निर्देश मांगा। अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के द्वारा निर्देश दिया गया कि आप स्वयं नामांतरण आदेश पारित करने के लिए सक्ष्म हैं चूँकि एक सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार बालेश्वर साहु के नाम से नामांतरण सन् 1979–80 ई0 में ही स्वीकृत किया जा चुका है। इसके बावजूद भी अंचल अधिकारी

ने अपीलार्थी का नामांतरण अस्वीकृत कर दिया। इन तथ्यों के अलावे अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय का एक नियमन भी भूईहरी जमीन के संबंध में दाखिल किया वह नियमन बी0एल0जे0आर 1992 पेज–986 में वर्णित है कि माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय ने इसमें यह कहा है कि भूईहरी जमीन पर एस0ए0आर0 वाद सन् 1986 ई0 से लागू हुआ है और उसके पूर्व जिस तरह का भी हस्तांतरण है या बेदखली है, उसमें प्रतिकुल दखल के आधार पर दखलकार व्यक्ति का हक 12 साल में ही हो जाता था।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है:–

1. एस0ए0आर0 वाद सं0–597/1976–77 का आदेश दिनांक–29.11.76 की छाया प्रति।
2. लगान रसीद की छाया प्रति।
3. निबंधित पट्टा:–2156/2009 की छाया प्रति।
4. क्रिमिनल रिवीजन 09/2011 की छाया प्रति।
5. करेक्शन Slip की छाया प्रति।
6. टाईटल सूट 17/2014 की छाया प्रति।
7. राजस्व अपील की छाया प्रति।
8. बिजली कनेक्शन की छाया प्रति।

उभय पक्षों का लिखित बहस प्रस्तुत कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सुदूरवर्ती गांवों में आदिवासी जमीन को खुले में बिना कब्जे/घेराबंदी के छोड़ रखा जाता है। हाँलाकि, किसी प्रकार के निर्माण कार्य होने पर उनके संज्ञान में आता है, फिर उनके द्वारा न्यायिक पहल पर अपने अधिकार को दर्शाया जाता है। इस वाद में भी ऐसे निर्माण कार्य संज्ञान में आने के उपरान्त अपीलार्थी के द्वारा Title Suit वाद, Sec.107 संबंधित वाद, SAR वाद, Deed Cancellation वाद वगैरह के माध्यम से लगातार कोशिश की गई जिसके बिन्दुओं को भी अवलोकन किया गया।

किसी भी प्रकार से उत्तरवादी का उक्त जमीन पर दखल–कब्जा नहीं दर्शाया जा सका। खतियानी रैयत के आधार पर आदिवासी जमीन को भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा बिना किसी आधार के हस्तांतरण कराई गई। साथ ही भुईहरी जमीन के संबंध में इस हस्तांतरण में भी वैद्य नहीं कहा जा सकता है।

अपील स्वीकृत की जाती है एवं जमीन को अपीलकर्ता के दखल दिलाने हेतु अंचल अधिकारी को निदेशित किया जाता है। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को प्राप्त कराई जाय, साथ ही निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ संबंधित पदाधिकारी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

28.04.22

उपायुक्त,
गुमला

28.04.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.07.30 12:16:02 +05:30
Location: 192.168.5.101